6 —

राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

आई0क्यू0ए0सी0 बैठक – दिनांक 27–09–2024 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 27–09–2024 को समय 02:00 बजे प्राचार्य की अध्यक्षता में आई0क्यू0ए0सी0 की बैठक आहूत की गयी। बैठक में आई0क्यू0ए0सी0 व विभागीय तैयारी की समीक्षा की गयी। आई0क्यू0ए0सी0 संयोजक द्वारा अद्यतन कार्य प्रगति की आख्या प्रस्तुत की तथा समस्त प्राध्यापकों द्वारा आवंटित कार्य व विभागीय प्रगति के बारे में अपने अपने विभाग व आवंटित कार्यो की आख्या प्रस्तुत किये।

उक्त के साथ ही निदेशक के पत्र पत्रांक सं0 145 / छात्रनिधि / 2019–20 दिनांक 19 नवम्बर 2019 के आलोक में प्रभारी सचिव के पत्र पत्रांक संख्या 1509/XXIV-C-2/2020-50 (2)19 दिनांक 01 जनवरी 2020 जो राजकीय महाविद्यालयों की छात्र निधियों (क्रीड़ा, छात्र संघ, प्रयोगशाला, रख रखाव, कॉशन मनी आदि) में जमा धनराशि नैक कार्य हेतु व्यय किये के सम्बन्ध में है जो दिनांक 01 जनवरी 2020 को जारी किया गया है। जिसे निदेशक उ0शि0 हल्द्वानी नैनीताल के द्वारा पत्र पत्रांक सं0 डिग्री सेवा–विविध / 9104 / 2019–20 दिनांक 04 जनवरी 2020 को प्राचार्य को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

उक्त पत्र में अंकित निर्देशों के अनुपालन में प्राचार्य द्वारा बैठक में आई0क्यू0ए0सी0 के सदस्यों से नैक पीयर टीम विजिट के दृष्टिगत उपलब्ध छात्र निधियों से आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने व उपयोग किये जाने हेतु चर्चा परिचर्चा की गयी। आई0क्यू0ए0सी0 के सदस्यों के द्वारा सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

उपस्थित आई0क्यू0ए0सी0 के सदस्य–

01–डॉ0दिनेश कुमार गुप्ता
02–डॉ0 संजय कुमार
03–डॉ0 रंजना सिंह
04–श्री अतुल कुमार मिश्र
05–श्री संजय कुमार गंगवार
06–श्री हरीश चन्द्र जोशी

27/9/2024
प्राचार्य
प्रो0(डॉ0) अजिता दीक्षित
राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी
(चम्पावत)

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
अमोड़ी (चम्पावत)

पृ०सं० समस्त राजकीय महाविद्यालयों को परिचालित करें।

1/1/2020

2020-01-01 001.jpg

संख्या- 1509 /XXIV-C-2/2019-50(2)19

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 01 जनवरी दिसम्बर, 2020

विषयः राजकीय महाविद्यालयों की छात्र निधियों में जमा धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्र संख्या 145/छात्रनिधि/2019-20, दिनांक 19 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न मदों (क्रीडा, छात्र संघ, प्रयोगशाला, रख-रखाव, कॉशनमनी आदि) के अन्तर्गत छात्र निधियों में शुल्क लिया जाता है जो प्रतिवर्ष छात्रों के हितार्थ व्यय किया जाता है। कतिपय राजकीय महाविद्यालयों की छात्र निधियों में वार्षिक समानुपात से कम व्यय किया गया है जिससे उन मदों में धनराशि अवशेष है। तदक्रम में उक्त धनराशि महाविद्यालयों के नैक मूल्यांकन तथा महाविद्यालय के विकास आदि कार्यों में व्यय किये जाने हेतु प्राचार्यों को अधिकृत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को छात्र निधियों से महाविद्यालय के लघु अनुरक्षण कार्य, आवश्यक फर्नीचर क्रय, महाविद्यालय का नैक प्रत्यायन कराये जाने तथा छात्र/छात्राओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय अधिकारो के प्रतिनिधायन द्वारा कार्यालयाध्यक्षों को प्रदत्त सीमा तक धनराशि व्यय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) छात्रनिधियों में जमा धनराशि का व्यय छात्र/छात्राओं की आवश्यकताओं के दृष्टिगत किये जायं। महाविद्यालयों का नैक प्रत्यायन किये जाने के सम्बन्ध में भी उक्त धनराशि का व्यय किया जा सकता है।

(2) छात्रनिधियों में जमा धनराशि व्यय किये जाने हेतु पारदर्शिता एवं मितव्ययता बरती जाय ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके।

(3) छात्रनिधियों में जमा धनराशि का व्यय महाविद्यालय स्तर पर सम्यक रूप से गठित पांच सदस्यों की समिति की संस्तुति पर किया जाय। उक्त समिति में छात्र संगठनों के 02 पदाधिकारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय।

(4) छात्र निधियों में जमा धनराशि का व्यय किये जाने हेतु मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः..........2/-

(5) छात्र निधियों में जमा धनराशि व्यय किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) महाविद्यालय स्तर पर छात्र निधियों में जमा धनराशि के सापेक्ष व्यय की समीक्षा/मॉनीटरिंग निदेशालय स्तर से समय-समय पर की जायेगी तथा उक्त कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन द्वारा कार्यालयाध्यक्षों को प्रदत्त सीमा से अधिक धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

भवदीय,
(अशोक कुमार)
प्रभारी सचिव।

संख्या- 1509 (1)/XXIV-C-2/2019-50(2)19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2-मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4-निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5-सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6-समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
8-निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9-वित्त अनु0-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0डिग्री सेवा -विविध/ 9104 /2019-20 दिनांक 04 जनवरी,2020

प्रतिलिपि- समस्त प्राचार्य राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
अमोड़ी (चम्पावत)

(डॉ0 एन0पी0 माहेश्वरी)
निदेशक उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)